न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

सियाराम बनाम शिशुपाल
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या– 02/69/2022

20.06.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 860/0.2500 है0 चाही उत्तम वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर से वादीग को जबरन बेदखल नही करें न स्वयं कब्जा करें, ने कोई निर्माण कार्य करें न उक्त आराजी में स्थित पेडो को काटकर ले जावे तथा वादी के साथ उक्त आराजी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत नहीं करें, वादी के साथ किसी प्रकार से झगडा फिसाद ना करें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।
(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष नें झुकाव होना आवश्यक है।
(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 आराजी पर प्रार्थी के कब्जे–कास्त में दखल अंदाजी न करें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में अप्रार्थीगण को कोई आक्षेप हो तो दिनांक 26.08.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

26-8-22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 11-11-22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
रीडर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	19/2/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। बाद गौर प्रा. पत्र व बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया। बाद गौर हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 22/06/2022 को दावा ताकेमला स्थगित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति कुलवाद ग. 01/78/2022 के साथ संलग्न होकर जमा लेख भण्डार हो।
	Sd/ SDO